भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *353 जिसका उत्तर

शुक्रवार, **24 मार्च,** 2023/3 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है

नए सामरिक पत्तन

†*353. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामरिक पत्तनों की कुल संख्या कितनी है और अडानी पोर्ट्स के स्वामित्व वाले बंदरगाहों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार देश के सभी बंदरगाहों की तुलना में अडानी पोर्ट्स के स्वामित्व वाले ऐसे बंदरगाहों में कुल कितना व्यपार हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर नए सामरिक पत्तनों के निर्माण को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बंदरगाहों को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"नए सामरिक पत्तन" के संबंध में श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा पूछे गए दिनांक 24 मार्च, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *353 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक में संदर्भित विवरण

(क): देश में 12 महापत्तन और 217 गैर-महापत्तन हैं। सभी महापत्तन प्रचालनरत है और कार्गो की हैंडलिंग करते है। सभी गैर-महापत्तन संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। 217 गैर महापत्तनों में से 68 गैर महापत्तनों पर कार्गो की हैंडलिंग की जा रही है। अडानी द्वारा संचालित गैर महापत्तनों/ टर्मिनलों की संख्या 10 है। इसके अतिरिक्त महापत्तनों पर 05 टर्मिनलों का प्रचालन अडानी द्वारा किया जा रहा है। राज्यों/ संघ राज्य-वार सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

(ख): अडानी द्वारा संचालित पत्तनों/ टर्मिनलों पर हैंडलिंग की जा रही कुल कार्गो मात्रा वित्त वर्ष 2021-22 में 312 एमएमटी थी। देश के सभी पत्तनों हैंडल की जा रही कुल कार्गो मात्रा वित्त वर्ष 2021-22 में 1318.9 एमएमटी थी। राज्यों में हैंडल किए जा रहे कुल कार्गो की तुलना में अडानी पत्तनों/ टर्मिनलों द्वारा हैंडल जा रहे कार्गो का राज्य-वार वितरण संबंधी ब्यौरा **[अनुबंध-2]** में दिया गया है।

(ग) और (घ): नए महापत्तनों की स्थापना करने की शक्तियां और महापत्तनों का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्र सरकार में निहित है। गैर-महापत्तनों की स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य समुद्री बोर्डों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में महापत्तन का भूमि आधारित पत्तन विकास मॉडल के आधार पर विकास किए जाने को इसके नैसर्गिक लाभों और देश के आयात-निर्यात की बढ़ती आवश्यकता के कारण सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की गलाथिया खाड़ी को भी इसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया था। परियोजना के निर्माण के लिए दिनांक 28 जनवरी, 2023 को रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी।

अनुबंध-1

अडानी पत्तनों/ टर्मिनल द्वारा संचालित पत्तनों और टर्मिनलों की राज्य/ संघ राज्य-वार सूची:

क्र.सं.	राज्य	अडानी कंपनी द्वारा संचालित पत्तन/ टर्मिनल
गैर-महापत्तन		
1	गुजरात	मुंद्रा पत्तन
2	गुजरात	हजीरा पत्तन पर टर्मिनल
3	गुजरात	दाहेज पत्तन पर टर्मिनल
4	महाराष्ट्र	दिघी पत्तन
5	केरल	विझिंझम पत्तन (निर्माणाधीन)
6	तमिलनाडु	कट्टुपल्ली पत्तन
7	आंध्र प्रदेश	गंगावरम पत्तन
8	आंध्र प्रदेश	कृष्णपट्टणम पत्तन
9	ओडिशा	धामरा पत्तन
10	पश्चिम बंगाल	ताजपुर पत्तन (एलओए जारी)
महापत्तनों पर टर्मिनल		
1	गुजरात	कंडला (दीनदयाल पत्तन) पर टूना के निकट टेकरा से दूर ड्राई बल्क टर्मिनल
2	गोवा	मुरगांव (मुरगांव पत्तन) पर कोयला संभाई टर्मिनल
3	कर्नाटक	नव मंगलूर पत्तन पर कैप्टिव कोयला बर्थ सं. 15
4	तमिलनाडु	कंटेनर टर्मिनल (कामराजार पत्तन)
5	पश्चिम बंगाल	हल्दिया (श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन) में बर्थ सं. 2 (एलओए जारी)

अनुबंध-2

वित्त वर्ष 2021-22 में सभी महापत्तनों की तुलना में अडानी पत्तनों/ टर्मिनलों द्वारा संभाला जा रहा राज्य–वार कार्गो

क्रम.सं.	राज्य	अडानी पत्तनों टर्मिनल द्वारा / संभाला जा रहा कार्गो (एमएमटी)	राज्यों में संभाला जा रहा कुल कार्गो (एमएमटी)
1	गुजरात	190	532.69
2	महाराष्ट्र	0.23	183.91
3	गोवा	4	18.49
4	कर्नाटक	0.64	40.1
5	केरल	0	34.85
6	तमिलनाडु	14	129.15
7	आंध्र प्रदेश	70	156.98
8	ओडिशा	33	157.54
9	पश्चिम बंगाल	0	57.8
10	पुदुचेरी	0	5.83
11	अंडमान और निकोबार	0	1.535

*****